सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई.डी.सं. 3146/28-26

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,
लोक सूचना पदाधिकारी (विभाग/कार्यालय) प्रधान सचिव
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना

आईडीसंख्या- 467
दिनांक 28/11/2025

1. आवेदक का नाम शेख गयासुद्दीन

2. पूरा पता ग्राम- लखनपुर पो॰ उजानसराय गुलजारबाग जिला- मुंगेर

3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में) दिनांक 27.06.2025 को निर्धारित डाक द्वारा प्रधान सचिव वित्त विभाग बिहार पटना को समर्पित आवेदनपत्र की छायाप्रति संलग्न किया जा रहा है। मुझे प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति दिनांक 04.03.1992 को मुझे प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति देय है। सरकार के उप सचिव पदनिर्माण विभाग बिहार पटना द्वारा पुनरीक्षित कैडर अनुमोदित वृत्ति कर्मचारी संवर्ग योजना लागू होने के कारण कालबद्ध प्रोन्नति की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु दिनांक 04.03.1992 से देय कालबद्ध प्रोन्नति का छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन प्रेषित किया था। (28.05.25)

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

5. (1) मैंने 10.00 रुपये (शब्दों में) दस रुपये मात्र का पोस्टल आर्डर
(+ 64F 256111 तिथि 7.5.2024 का रसीद सं. .....
..... से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।

(2) मैं डिमाण्ड ड्राफ्ट/भुगतान देय सं. ..... दिनांक .....
जो ..... पदाधिकारी के पक्ष में ..... बैंक, द्वारा
जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।

SO-6 Rm 26/11/25

(3) मैंने ..... रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।

(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न हैं।

स्थान : मुंगेर

3863/FC 24/11/25

तिथि :20.11.2025

आवेदक का हस्ताक्षर Sk. Gayasuddin
ई-मेल पता, अगर कोई हो :
दूरभाष संख्या (कार्यालय) 9631988906
(आवास) :
आवेदन का पत्राकार का पूरा पता ग्राम लखनपुर पो॰ उजानसराय थाना- गुलजारबाग जिला मुंगेर।

VS/RCM

श्रीसचिवालय 27.11.25

नोट : गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का कोई फीस देय नहीं है।

जो लागू नहीं है उसे काट दें।

EP732314058IN

प्रपत्र 'ज'

(8)

(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

पत्र संख्याः–**लो.सू.को./आई०डी०सं०–346/25–26** 8496(E) पटना, **दिनांक–** 19/12/2025

AIS Komal (19.12.2025)

प्रेषकः

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्री शेख गयासुद्दीन का सूचना आवेदन दिनांक–20.11.2025 जो वित्त विभाग के पत्रांक–1591 दिनांक–12.12.2025 से स्थानांतरित होकर इस विभाग में दिनांक–16.12.2025, को प्राप्त हुआ है, **(आई०डी०सं०–346/25–26)** इसके साथ संलग्न किया जाता है :–

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन याचित सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा–**5 (4)** के आलोक में प्रपत्र–'क' को आपके क्षेत्राधिकार/प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा–**5 (5)** के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र–'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के आलोक में वांछित सूचना **दो सेट में** अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Komal 19/12/25

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक– 8496(E) दिनांक– 19/12/2025

प्रतिलिपि : **अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03,** पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Komal 19/12/25

लोक सूचना पदाधिकारी

हस्ताक्षरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०.....
.....
दिनांक–.....

D:\R.T.I. Section-32\Komal-32\R.T.I. FOLDER TILL-2025\praptra.-Ja.docx

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र सं0–प्र0 3/सू0–13–01/2026 52(E) पटना, दिनांक :– 05/01/2026

प्रेषक,

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत श्री शेख गयासुद्दीन द्वारा याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। (आई0डी0 सं0–346/2025–26)**

प्रसंग :– आपका पत्रांक–8496 (ई) अनु0, दिनांक–19.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त सूचना प्रपत्र–'क' में आवेदक द्वारा सूचना की मांग 'हाँ' या 'ना' में की गयी है।

अधिनियम के प्रावधान के आलोक में 'हाँ' या 'ना' में सूचना नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार की सूचना धारा–2 (च) के अन्तर्गत अनुरोधकर्त्ता के पहुँच योग्य नहीं है।

अनुरोध है कि आवेदक को अपने स्तर से इसकी सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

02.01.26

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

42/ युoसoo 06/01/26

06-01-2026

प्रपत्र 'घ'

(सूचना उपलब्ध कराना)

(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्याः–**लो.सू.को./आई०डी०सं०–346/25–26** 145(E) **पटना, दिनांक–** 08/01/2026

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०.....
.....
दिनांक–.....

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री शेख गयासुद्दीद,
ग्राम–लसनपुर, पो०–डगरूआ,
भाया–गुलाबबाग, जिला–पूर्णियाँ।

महाशय,

यह आपके सूचना आवेदन दिनांक–20.11.2025 जो वित्त विभाग के पत्रांक–1591 दिनांक–12.12.2025 से स्थानांतरित होकर इस विभाग में दिनांक–16.12.2025, को प्राप्त हुआ है, **(आई०डी०सं०–346/25–26)** में देय/अदेय सूचना के संबंध में है :–

2. याचित सूचना संबंधी प्रतिवेदन **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03,** पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–52 (E) दिनांक–05.01.2026 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Komal 8/1/26

लोक सूचना पदाधिकारी
पटना, दिनांक– 08/01/2026

ज्ञापांक–145(E)

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Komal 8/1/26

लोक सूचना पदाधिकारी

D:\R.T.I. Section-33\Komal-33\R.T.I. FOLDER TILL-2025\prapatra Gha.docx